फोनः-4103333, 2362400 फैक्सः-0141-2373513 वर्षः 77 संख्याः 95 प्रभात जयपुर, बुधवार 4 नवम्बर, 2026 डाक पं.सं. जयपुर सिटी/001/2021-23 पृष्ठ 8 मूल्य 2.75 रु.

ARBiT

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

epaper.rashtradoot.com

राष्ट्रदूत

Metro

Rashtradoot



Main Yahin Hoon

"Chatting me feelings nahi ati." (A gentleman on a chat app, 2014)

The Stealing Of Mona Lisa

We Don't Qualify On The Poverty Grail | Bangladesh's Edge: Cheaper Labour and Fewer Tariffs?

राहुल ने प्र.मंत्री को घेरने के लिए, खुली बहस की चुनौती दी

''आपने मेरे खिलाफ 45 मानहानि के मुकदमे चला रखे हैं, पर, विदेश में संबंधों के बारे में आपकी चुप्पी कुछ रहस्यमय है''

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 3 नवम्बर। प्र.मंत्री मोदी और राहुल गांधी, दोनों के बीच का अंतर अब इतना स्पष्ट होता जा रहा है कि उसे नज़रअंदाज़ करना मुश्किल हो गया है। राहुल गांधी पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ रहे हैं और लगातार आक्रामक रुख अपना रहे हैं।

दूसरी ओर, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का प्रभाव कम होता दिखाई दे रहा है। नए-नए विवादों, विपक्ष के लगातार हमलों और धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार तथा वोट चोरी जैसे आरोपों के बीच उनकी ''लार्जर देन लाइफ'' छवि कमज़ोर पड़ती नजर आ रही है।

सरकार के भीतर के सूत्रों का कहना है कि नेतृत्व इन घटनाक्रमों से परेशान है। यही वजह है कि अमित शाह को जवाबी रैलियां करने और यह बात प्रचारित करने के लिए कहा गया है कि रामलीला मैदान की रैली की तस्वीरें एआई से तैयार की गई थीं।

इंडिया गठबंधन द्वारा राहुल गांधी को नेता के रूप में स्वीकार करना और राहुल का आगे बढ़कर नेतृत्व करना मोदी के राजनीतिक प्रभाव तथा उनके आत्मविश्वास को चुनौती देता दिखाई दे रहा है।

- ''आप जहाँ चाहें, जब चाहें, खुली बहस करें और अपने मनपसंद व्यक्ति को जज भी बना लें। चाहे वह व्यक्ति मोहन भागवत ही क्यों न हों? अचरज की बात है, राहुल में इतना विश्वास अपनी क्षमताओं के बारे में कहाँ से आया।
- क्या यह बदलती परिस्थितियों का संकेत है या केवल गीदड़ भभकी है, क्योंकि राहुल जानते हैं कि बहस की उनकी चुनौती कोई भी प्र.मंत्री स्वीकार नहीं करेगा। क्योंकि, ऐसी बहस में प्र.मंत्री को खोने के लिए सब कुछ, पर पाने के लिए कुछ भी नहीं। तथा, शायद भारत में ऐसी सार्वजनिक बहस की कोई परम्परा कभी विकसित नहीं हुई।

अपने ताजा कदम में राहुल गांधी ने नरेन्द्र मोदी को आमने-सामने खुली बहस की चुनौती दी है। उनका कहना है कि इस बहस में महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो और यह तय हो कि देश विरोधी कौन है और कौन नहीं।

राहुल गांधी ने कहा कि मोदी उन पर और विपक्ष पर देश विरोधी होने का आरोप लगाते रहे हैं। इसलिए दोनों को इस मुद्दे पर बहस करनी चाहिए, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि वास्तव में देश विरोधी कौन है।

नरेन्द्र मोदी को दी गई राहुल गांधी की चुनौती का मुख्य अंश इस प्रकार है:

''मोदी जी, आपको चुनौती दिए मुझे 24 घंटे हो चुके हैं।''

आप कहते हैं कि विपक्ष देश विरोधी है। आप कोई भी मंच और कोई भी जगह चुन लीजिए और मुझसे इस मुद्दे पर बहस कीजिए कि देश विरोधी कौन है? विदेशी ताकतों से किसके संबंध हैं? और उन संबंधों की प्रकृति क्या है?

आइए, यह बहस जल्द से जल्द करते हैं। डरो मत!

हम दोनों वहां मौजूद रहेंगे। मीडिया भी होगा और देश के युवा भी। बीच में एक टेबल होगी। एक तरफ आप बैठेंगे और दूसरी तरफ मैं। आप जिसे चाहें, निर्णायक नियुक्त कर सकते हैं। यहां तक कि मोहन भागवत जी को भी निर्णायक बना सकते हैं।

वित्तीय व्यवस्था और आर्थिक ढांचे पर सवाल होंगे। अमेरिका के साथ समझौता कैसे हुआ, क्यों हुआ और इतनी जल्दबाजी में क्यों हुआ? आपने अकेले ही यह समझौता क्यों किया और मंत्रिमंडल को इसकी जानकारी क्यों नहीं दी? अडानी मामले को क्यों बंद किया गया? एप्स्टीन और ऐसे ही कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा होगी। हम इन सभी विषयों पर खुलकर बात करेंगे।

सच्चाई सामने आने दीजिए। हर बात पूरी तरह साफ हो जाने दीजिए।

आप मुझ पर आरोप लगाते हैं, है न? सामने आइए। सब कुछ साफ हो जाएगा।

आपने दूसरे मामलों में मेरे खिलाफ मानहानि के मुकदमे दायर किए हैं। मेरे विचार से, मेरे खिलाफ ऐसे करीब 45 मुकदमे हैं।

लेकिन इस बहस के मुद्दे पर, विदेशी संबंधों के सवाल पर, आपने मानहानि का मुकदमा नहीं किया है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'2027 में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा'

वाराणसी, 03 नवंबर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे इस बार खुद विधानसभा चुनाव

- अखिलेश यादव ने घोषणा करते हुए कहा वे इस बार दूसरों को ही चुनाव लड़ाएंगे।

नहीं लड़ेंगे, बल्कि पार्टी के दूसरे नेताओं को चुनाव लड़वाएंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि वह शुभ-अशुभ को मानते हैं और इस बार वही करेंगे, जो उनके लिए पहले शुभ रहा है।

अखिलेश यादव ने वर्ष 2012 का जिक्र करते हुए कहा कि जब वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, तब लोकसभा के सांसद थे। उन्होंने इसी राजनीतिक घटनाक्रम को अपने लिए शुभ बताते हुए कहा कि इस बार भी वही करेंगे, जो उनके लिए शुभ रहा है।

उनके इस बयान से साफ है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव खुद प्रत्याशी के रूप में मैदान में नहीं उतरेंगे। हालांकि, पार्टी के चुनाव प्रचार और नेतृत्व की जिम्मेदारी उनके पास ही रहने की संभावना है।

आंतरिक खींचतान ले बैठेगी उमर की सरकार को?

नैशनल कॉन्फ्रेंस के 25 विधायकों ने 14 दिन का अल्टीमेटम दिया नेतृत्व को और धमकी दी, उनकी माँग नहीं मानी गई तो वे राज्यपाल से मिलकर समर्थन वापस भी ले सकते हैं

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 3 नवम्बर। पत्रकार निधि राजदान के साथ हाल ही में हुई शादी की खुशियों के बीच, जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला 2024 में सत्ता संभालने के बाद, अब तक के सबसे गंभीर राजनीतिक संकट का सामना कर रहे हैं।

रिपोर्टों के मुताबिक, सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के करीब 25 विधायकों ने पार्टी नेतृत्व को 14 दिन का अल्टीमेटम दिया है। उनकी मांग है कि 27 अक्टूबर को हुए मंत्रिमंडल विस्तार के बाद, राज्य मंत्रिमंडल में व्यापक फेरबदल किया जाए। मुख्यमंत्री के सलाहकार नासिर असलम वानी को हटाया जाए और दो साल का कार्यकाल पूरा कर चुके मंत्रियों की जगह, नए चेहरों को मौका दिया जाए। विधायकों ने 2024 के चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादों, खासकर जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने और अनुच्छेद 370 से जुड़े मुद्दों, पर भी ठोस कार्रवाई की मांग की है।

विधायकों ने चेतावनी दी है कि मांगें पूरी नहीं होने पर वे राजभवन का रुख कर सकते हैं और सरकार से समर्थन भी वापस ले सकते हैं।

- विधायकों की मुख्य मांग है कि मुख्यमंत्री के सलाहकार नासिर असलम वानी को हटा दिया जाए और जिन मंत्रियों का दो साल का कार्यकाल हो चुका है, उनकी जगह नए चेहरों को मौका दिया जाए।
- श्रीनगर के लोकसभा सांसद आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी द्वारा संसदीय सीट और पार्टी से त्याग पत्र देने के बाद संकट और गहरा हो गया।
- 90 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के लिए 46 सीटें चाहिए। नैशनल कॉन्फ्रेंस के पास 41-42 सीटें हैं, उसके अलावा उसे कांग्रेस के 6, निर्दलियों व माकपा के एक विधायक का समर्थन भी प्राप्त है। अगर 25 विधायकों ने समर्थन वापस लिया तो सरकार अल्पमत में आ जाएगी।

संकट उस समय और गहरा गया, जब श्रीनगर से लोकसभा सांसद आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी ने 3 नवंबर को नेशनल कॉन्फ्रेंस और अपनी संसदीय सीट से इस्तीफा दे दिया। ज्ञातव्य है कि 3 नवंबर को उनके पिता की पुण्यतिथि भी है। मेहदी ने 2024 के चुनाव में किए गए प्रमुख वादों को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया। इनमें अनुच्छेद 370, राज्य का दर्जा बहाल करना, राजनीतिक कैदियों का मुद्दा और अन्य संवैधानिक विषय शामिल हैं। उन्होंने पार्टी नेतृत्व पर अपने रुख से पीछे हटने और भाजपा की भाषा बोलने का आरोप लगाया। 90 सदस्यीय विधानसभा में नेशनल

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'अनिश्चितकाल तक किसी भी स्थान पर प्रदर्शन जारी नहीं रखा जा सकता'

गत माह जंतर-मंतर और हाल ही में रामलीला मैदान में हुए विरोध प्रदर्शन पर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश सुनाया

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 3 नवम्बर। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि कोई भी व्यक्ति धरना-प्रदर्शन के लिए किसी स्थान पर अनिश्चितकाल तक कब्जा नहीं कर सकता। यहां तक कि प्रदर्शन के लिए निर्धारित स्थलों पर भी धरना देने की समय-सीमा तय होनी चाहिए। अदालत की ये टिप्पणियां पिछले महीने मध्य दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए बड़े प्रदर्शन और हाल ही में विपक्षी दलों तथा अन्य संगठनों द्वारा चुनाव आयोग के खिलाफ रामलीला मैदान में आयोजित रैली पर सुनवाई के दौरान आईं।

- चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, आप हमेशा के लिए एक जगह पर कब्ज़ा नहीं कर सकते, अन्य प्रोटैस्टर्स भी हैं, जैसे किसान और वकील, वो कहाँ जाएंगे।
- सरकार के वकील तुषार मेहता ने कहा कि 20 जुलाई को एक दिन के लिए प्रदर्शनकारियों का जंतर-मंजर दिया था, पर उन्होंने यहाँ मानो कब्ज़ा कर लिया और संसद तक मार्च भी निकाला।

सरकार ने जंतर-मंतर से प्रदर्शन स्थल का दर्जा हटा दिया है और रामलीला मैदान सहित तीन वैकल्पिक स्थलों की घोषणा की है।

केन्द्र सरकार के शीर्ष वकील तुषार मेहता ने आज सुप्रीम कोर्ट से कहा कि

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

नेपाल में दो हैलीकॉप्टर की भिड़ंत

काठमांडू, 03 नवंबर। सोलुखुम्बु जिले में आज सुबह डायनेस्टी और फिस्टेल एयर के दो हेलीकॉप्टरों की टक्कर में जान गंवाने वाले विदेशी नागरिक की पहचान हो गई है। सोलुखुम्बु जिला पुलिस कार्यालय के डीएसपी नवीनराज बुढ थोकी के

- हादसे में एक भारतीय वसंत कुमार की मौत हो गई तथा दूसरा अन्य भारतीय मूल का न्यूज़ीलैंड का नागरिक शैलेश किशन पटेल घायल हो गया।

अनुसार, मृतक की पहचान 47 वर्षीय भारतीय नागरिक वसंत कुमार बलारा माडू के रूप में हुई है।

वहीं, इस हादसे में भारतीय मूल के 53 वर्षीय न्यूजीलैंड नागरिक शैलेश

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'अगर रतन टाटा जीवित होते तो भी क्या बोर्ड ऐसे ही बर्ताव करता'

वरिष्ठ अधिवक्ता डेरियस खंबाता ने ''टाटा संस'', ''टाटा ट्रस्ट'' के मतभेदों पर झकझोर देने वाला सवाल किया

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 3 नवम्बर। टाटा संस और टाटा ट्रस्ट के बीच मतभेद अब टाटा समूह के नेतृत्व और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए एक बड़ी परीक्षा बनते जा रहे हैं। वरिष्ठ वकील डेरियस खंबाता ने टाटा संस के बोर्ड के कामकाज पर सवाल उठाए हैं, वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दोनों पक्षों से अपने मतभेद आपसी सहमति से सुलझाने की अपील की है।

ये घटनाक्रम टाटा संस के भविष्य को लेकर बढ़ते मतभेदों के बीच सामने आए हैं। इस विवाद में टाटा संस की प्रस्तावित स्टॉक मार्केट लिस्टिंग और एन. चंद्रशेखरन की अध्यक्ष के तौर पर दोबारा नियुक्ति जैसे मुद्दे शामिल हैं।

खंबाता, जो ''सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट'' और ''सर रतन टाटा ट्रस्ट'', दोनों के ट्रस्टी रह चुके हैं, ने दोबारा ट्रस्टी बनने से इनकार कर दिया है। साथ ही, उन्होंने 17 सितंबर को हुई टाटा संस के निदेशक मंडल की बैठक से जुड़ी घटनाओं की कड़ी आलोचना की है।

- खंबाता ''सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट'' और ''सर रतन टाटा ट्रस्ट'', दोनों में ट्रस्टी रह चुके हैं। अब उन्होंने दोबारा ट्रस्टी बनने से मना कर दिया है।
- खंबाता ने 17 सितंबर को टाटा संस के बोर्ड ऑफ डायरैक्टर्स की मीटिंग के घटनाक्रम की कड़ी आलोचना की और टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन नोएल टाटा और सी ई ओ सिद्धार्थ शर्मा को पत्र लिखा।
- खंबाता ने कंपनी को शेयर बाज़ार में सूचीबद्ध करने की योजना का विरोध किया है।

टाटा ट्रस्ट के चेयर मैन नोएल टाटा और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सी.ई.ओ.) सिद्धार्थ शर्मा को लिखे पत्र में, खंबाता ने सवाल उठाया कि क्या बोर्ड ने तब भी ऐसा ही बर्ताव किया होता, अगर टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष रतन टाटा जीवित होते?

मनीकंट्रोल की एक खबर के अनुसार, उन्होंने लिखा, ''अगर रतन टाटा आज जीवित होते, तो क्या टाटा संस का बोर्ड 17 सितंबर को वैसा ही बर्ताव करता, जैसा उसने किया? बिल्कुल नहीं।''

रिपोर्ट के अनुसार, खंबाता ने ''17 सितंबर की दुखद घटनाओं को ऐसा दिन बताया, जिसे हमेशा बदनामी के लिए याद किया जाएगा।'' उन्होंने कहा कि ''इन घटनाओं ने टाटा संस की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है और भारतीय कॉरपोरेट इंडिया की छवि को खतरे में डाल दिया है। कोई भी लीपापोती इस सच्चाई को नहीं छुपा सकती कि उस दिन क्या हुआ था।'' उनकी ये टिप्पणियाँ काफी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इनसे टाटा

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ईडी ने अनिल अंबानी ग्रुप की 510 करोड़ की संपत्ति जब्त की

मुंबई, 03 नवंबर। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बैंक धोखाधड़ी और वित्तीय अनियमितताओं की जांच के सिलसिले में रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप पर एक बार फिर बड़ा

- इसके साथ ही अनिल अंबानी समूह की अब तक जब्त सम्पत्ति की राशि 23100 करोड़ रूपए हो गई।

कानूनी शिकंजा कसा है। जांच एजेंसी ने समूह से जुड़ी कंपनियों के बैंक फ्रॉड मामलों में कार्रवाई करते हुए, 510.17 करोड़ मूल्य की संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क (अटैच) कर लिया है। इस नई कार्रवाई के बाद, रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप की अब तक कुर्क और जब्त की गई कुल परिसंपत्तियों का आंकड़ा 23,100 करोड़ के पार पहुंच गया है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'क्रिमिनल रिट रजिस्ट्री बंद करने का फैसला पूर्णतः गलत'

राजस्थान हाईकोर्ट ने पूर्व कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश एस.पी.शर्मा के निर्णय को गलत ठहराते हुए इस व्यवस्था को पुनः बहाल किया

-यादवेन्द्र शर्मा-

जयपुर, 3 नवम्बर। राजस्थान हाईकोर्ट के तीन जजों की ''संवैधानिक बैंच'' ने पूर्व कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश एस.पी. शर्मा द्वारा 7 जुलाई 2026 के आदेश से बंद की गई आपराधिक रिट याचिकाओं के अलग पंजीकरण की व्यवस्था को पुनः बहाल किया है। हाईकोर्ट की रजिस्ट्री को निर्देश दिया गया है कि वह राजस्थान हाईकोर्ट नियमावली के नियम 315 तथा अन्य लागू नियमों एवं न्यायालय की लंबे समय से चल रही प्रक्रिया के अनुसार, आपराधिक मामलों की रिट याचिकाओं को आपराधिक रिट याचिका के नाम से पंजीकृत करें। इसके अलावा, जो आपराधिक रिट याचिकाएं वर्तमान में लंबित हैं, लेकिन किसी दूसरे नाम से दर्ज की गई हैं, उन्हें दो सप्ताह के भीतर दोबारा आपराधिक रिट याचिका के तौर पर पंजीकृत किया जाए और बाद में उन्हें संबंधित रोस्टर के अनुसार उचित बेंच के समक्ष पेश करें। सीजे संजय के. अग्रवाल, जस्टिस समीर जैन और जस्टिस अनुरूप सिंघी की फुल बेंच ने ये आदेश रवि कुमार की याचिका पर भेजे रेफरेंस पर सुनवाई करते हुए दिए।

- हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय के. अग्रवाल, जस्टिस समीर जैन और जस्टिस अनुरूप सिंघी की फुल बैंच ने यह आदेश रवि कुमार की याचिका पर जस्टिस आनंद शर्मा द्वारा भेजे गए रैफरैंस पर सुनवाई करते हुए दिए।
- अदालत ने माना कि रिट याचिकाओं में ''क्रिमिनल'' और ''सिविल'' की छंटनी बेहद महत्वपूर्ण है। छंटनी तय करती है कि याचिकाकर्ता किस प्रकरण में क्या राहत मांग रहा है? ऐसी रिट याचिकाओं को उन्हीं जजों के समक्ष लगाया जाये, जो कि उस संदर्भ में तय किए गए रोस्टर से सुनवाई कर रहे हैं।

गौरतलब है कि पूर्व कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश एस.पी. शर्मा ने ''जिया व अन्य बनाम राजस्थान सरकार'' के एक मामले पर सुनवाई करते हुए गत 7 जुलाई को आदेश दिए थे कि संविधान में आपराधिक रिट याचिका नाम की कोई श्रेणी नहीं है, इसलिए हाईकोर्ट की रजिस्ट्री केवल रिट दायर करें, ''क्रिमिनल रिट'' दायर करने की प्रथा को बंद करें। एस.पी.शर्मा ने अपने आदेश में कहा था कि संविधान में केवल ''रिट'' परिभाषित है, उसका कोई ऐसा विभाजन नहीं है, जैसे ''सिविल रिट'' या ''क्रिमिनल रिट।''

न्यायाधीश आनंद शर्मा की एकलपीठ ने मुख्य न्यायाधीश संजय के. अग्रवाल के समक्ष 5 प्रश्नों के साथ यह मुद्दा उठाया था और पूछा था कि क्या हाईकोर्ट के नियम 315 (1) (एच), जिसके तहत अपराधिक मामले व अपराधिक रिट याचिकाएं दर्ज की जाती हैं, क्या इस नियम को संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत ''सिविल रिट'' दायर की जा सकती है?

जस्टिस आनंद शर्मा ने यह सवाल भी पूछा कि क्या ''क्रिमिनल रिट'' केवल हाईकोर्ट की रजिस्ट्री में केवल नामकरण का फर्क दिखाने के लिए है, इसके तहत जो मामले दर्ज होते हैं, उनमें कोई मूल आधार होता है, जिससे मालूम चले कि यह मामला आपराधिक जांच अथवा सुनवाई से संबंधित है?

इसके अलावा, न्यायाधीश शर्मा ने सवाल उठाए कि क्या हाईकोर्ट के मुख्य कार्यकारी न्यायाधीश का एक न्यायिक आदेश हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के नियमों व कानूनों को निष्क्रिय कर सकता है, बिना यह तय करे कि क्या वे नियम-कानून असंवैधानिक हैं?

हाईकोर्ट के तीन जजों की पूर्ण पीठ ने जब सम्पूर्ण बार एसोसिएशन को बुलाकर इस प्रकरण पर सुनवाई की तो एक तथ्य यह भी सामने आया कि जब

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

दिया मिर्ज़ा का वीडियो फिर से अपलोड किया जाए

मुंबई, 03 नवंबर। फिल्म अभिनेत्री दीया मिर्जा का दिवाली वाला वीडियो बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (बीएमसी) के द्वारा हटाने जाने के बाद से जहां सियासी बवाल बढ़

- बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी को, दिया मिर्ज़ा का वीडियो हटाने पर फटकारा। दिया मिर्ज़ा ने वीडियो संदेश में पटाखे नहीं जलाने की अपील करते हुए प्रदूषण रोकने का आव्हान किया था।

गया है, वहीं इस वीडियो के हटाए जाने पर बंबई उच्च न्यायालय ने नाराजगी जाहिर की और इसे दोबारा से अपलोड करने के निर्देश दिए।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)